

उनवान:- रामहरि वनाम नेमीलाल
प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 212


क्र. 7/22

फर्द अहकाम

प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता श्री रामभरोसी गुप्ता एडवोकेट हाजिर प्रार्थी अधिवक्ता के इस अनुरोध पर कि प्रकरण अत्यावश्यक प्रकृति का है तथा प्रार्थी के पक्ष में अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा पारित नहीं किये जाने पर वाद व प्रार्थना पत्र का उद्देश्य ही असफल हो जायेगा। प्रार्थना पत्र अन्तरिम अस्थायी निषेधाज्ञा के बिन्दु पर वकील प्रार्थी को सुना गया। वकील प्रार्थी का कथन है कि अप्रार्थीगण प्रश्नगत भूमि में प्रार्थी के पक्ष में अन्तरिम निषेधाज्ञा जारी की जावे। प्रार्थना पत्र की प्रकृति एवं आकस्मिकता को देखते हुए गैरसायलान को दिनांक 29.07.2022 तक जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है। कि विवादग्रस्त आराजी ख0न0 721 रकवा 0.59 है0 ग्राम पीलवा तहसील टोडाभीम में आगामी तारीख पेशी तक सायलान के 1/4 हिस्से की भूमि पर आने-जाने व कब्जे काश्त में बाधा पैदा नहीं करे।

प्रार्थी को निर्देशित किया जाता है। कि अप्रार्थीगण के नोटिस तामिल को सामान्य व साधारण प्रक्रिया के साथ-साथ अप्रार्थीगण को प्रार्थना पत्र दस्तावेज व नोटिस आदि की प्रतिया रजिस्टर्ड डाक से भिजवाना सुनिश्चित करे। तथा आगामी पेशी पर इस आशय का शपथ पत्र तथा रसीद प्रस्तुत भी करे। तथा बहस हेतु तैयार नहीं होने पर आगामी सुनवाई को अस्थाई निषेधाज्ञा स्वतः निष्प्रभावी मानी जावेगी। प्रकरण को स्वच्छ हाथों से प्रस्तुत किया हुआ मानकर तथा एक पक्षीय सुनवाई के आधार पर न्यायालय के विवेकाधीन शक्तियों के तहत यह अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की गई है। लिहाजा प्रार्थीगण से यह अपेक्षा की जाती है। कि वह उपरोक्तानुसार अप्रार्थीगण पर एक पक्षीय आदेश की तामिल की उपर्युक्तानुसार ठोस कार्यवाही कर इस न्यायालय को प्रमाण पेश करे। तथा आदेश 39 नियम (3) (क) के प्रावधानों की पालना सुनिश्चित करे। अन्यथा अन्तरिम आदेश को आईन्दा तारीख पेशी तक विस्तारित करने से पूर्व न्यायालय अपने विवेकाधिकार एवं अंतर्निहित शक्तियों का प्रयोग करेगा। जिन परिस्थितियों में यह अन्तरिम निषेधाज्ञा पारित की गई है में परिवर्तन की दशा में संशोधित/वैकेट कर दी जावेगी। अप्रार्थीगण को जरिए रजिस्टर्ड नोटिस तलब किया जावे। पत्रावली दिनांक 29.07.2022 को पेश हो।

4560-62
21/7/22


(दुर्गा प्रसाद मीना)

उपखण्ड अधिकारी पदेन सहायक कलक्टर
टोडाभीम जिला करौली



फर्द अहकाम

12/24 वारी वकील उमय पक्ष उपस्थित
 पीठा: ... सुन 11 व ... व.र में पधारै है।
 पत्रावकी पेशा हुई ... 12.6.24
 को पेश हो।

जु

2/24 प पत्रावकी पेशा हुई / वकील उमय पक्ष कारण
 उपस्थित / वारी वकील उमय पक्ष 25.6.24
 को पेश हो।

(5)

15/24 पत्रावकी पेशा हुई / वकील उमय पक्ष कारण
 उपस्थित नही / वार 2 कावाज डिकारी
 गइ / इसके उपरान्त को प्राप्ती हुय
 प्राप्ती वकील कोही उपस्थित नही
 हुका / इसविषय प्राप्ती का हुसर प्राप्ती
 पत्र प्राप्ती को कडम पेशी कडम
 डिकारी में खासिज किया जाल है।
 पत्रावकी पेशाव सुनाए डिकार नमवासे
 कए डिकार हुए।

(5)